

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29) आयो/आकाशि/19-20/

905

दिनांक : 13-11-2019

आदेश

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य निधि मद के अन्तर्गत माँग संख्या 24 में विस्तृत लेखा शीर्ष मदों में निम्नलिखित नवीन राजकीय महाविद्यालयों को उनके सम्मुख बजट मद में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जाता है :-

माँग संख्या-24

- 2202 - सामान्य शिक्षा
03 - विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा
103 - राजकीय कालेज तथा संस्थान
(02) - राजकीय महाविद्यालय (पुरुषों के लिए) (राज्यनिधि मद) (राशि लाखों में)

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	मद				
		01- संवेतन	31- पुस्तकालय	33- प्रयोगशाला	57- विभागों की विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	62- कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी संचार व्यय
1	राजकीय महाविद्यालय, नावां	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
2	राजकीय महाविद्यालय, रेलमगरा	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
3	राजकीय महाविद्यालय, जमवारामगढ़	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
4	राजकीय महाविद्यालय, शाहबाद	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
5	राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सीकर	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
6	राजकीय महाविद्यालय, पाटन	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
7	राजकीय महाविद्यालय, वैर	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
8	राजकीय महाविद्यालय, उच्चैन	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
9	राजकीय महाविद्यालय, करेड़ा	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
10	राजकीय महाविद्यालय, विराटनगर	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
11	राजकीय महाविद्यालय, परबतसर	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
12	राजकीय महाविद्यालय, बज्जू	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
13	राजकीय महाविद्यालय, छत्तरगढ़	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
14	राजकीय महाविद्यालय, धोरीमन्ना	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
15	राजकीय महाविद्यालय, सैपउ	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
16	राजकीय महाविद्यालय, मंडरायल	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
17	राजकीय महाविद्यालय, बाँली	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
18	राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़,	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
19	राजकीय महाविद्यालय, जहाहपुर	10.00	0.75	0.50	1.00	1.00
20	राजकीय महाविद्यालय, कनवास	0.00	0.75	0.50	1.00	1.00
21	राजकीय महाविद्यालय, रावतभाटा	0.00	0.75	0.50	1.00	1.00
22	राजकीय महा.मारवाड जंक्शन	0.00	0.75	0.50	1.00	1.00
23	राजकीय महाविद्यालय, डूंगरगढ़	0.00	0.75	0.50	1.00	1.00
	योग	190.00	17.25	11.50	23.00	23.00

व्यय विभागीय निर्देश एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना कर किया जावे।

(राजकुमार मीना)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर

क्रमांक : एफ 20(101/29) आयो/आकाशि/19-20/

908-909

दिनांक 13-11-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (आयोजना), आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य को भेजकर लेख है कि 01- संवेतन मद के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि का व्यय 15 दिसम्बर 2019 से पूर्व किया जाना सुनिश्चित करे निश्चित तिथि तक राशि का व्यय नहीं किये जाने पर राशि का आहरित कर लिया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी साथ ही मासिक व्यय का विवरण भी भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

वित्तीय सलाहकार